प्रार्थी द्वारा योजना की शर्तों को पूर्ण करने संबंधी स्व घोषणा

में	.पुत्र	প্री
घोषणा करता / करती हूं		

- व बेरोजगार जीइंजीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किए जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इनका लाभ दिया जा रहा है
- II. इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात भी अपनी शिक्षा निरंतर कर रहे हैं
- III. इस प्रकार के बेरोजगार स्नातक जो कि किसी अन्य रोजगार योजना जैसे कि PMGSY & MNREGA के तहत लाभ प्रदान कर रहे हैं MNREGA में पंजीकरण बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
- IV. ऐसे बेरोजगार स्नातक जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख से अधिक हो
- V. पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007 या कौशल योजना 2009 द्वारा या अक्षत योजना राज्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 में लाभ प्रदान कर चुके आशार्थी ।
- VI. जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो ।
- VII. जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो ।
- VIII. जो सरकारी / निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो ।
 - IX. जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की सहायता या लाभ प्रदान किया जा रहा हो
 - X. मेरे परिवार में मेरे सिहत अधिकतम 2 पात्र व्यक्तियों ने आदिनांक तक अक्षत योजना 2007 या अक्षत योजना कौशल 2009 अक्षत योजना (राज्य बेरोजगार भत्ता योजना 2012) में भत्ता प्राप्त किया हो

उपरोक्त घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 1 से 10 तक मुझ पर लागू नहीं होते हैं तथा मैं योजनानुसार अपात्र नहीं हूं यदि उपरोक्त घोषणा पत्र में झूठा साबित होने पर भारतीय दंड संहिता अपराध दंड संहिता तथा अन्य विधि समस्त कानून के तहत कार्रवाई हेतु में जिम्मेदार रहूंगा या रहूंगी